

प्रेस नोट - सर्विलांस सेल

दिनांक - 31.03.2026

सर्विलांस सेल द्वारा गुमशुदा/खोये हुये कुल 101 एंड्रॉयड मोबाइल फोन(अनुमानित कीमत लगभग 22 लाख रू0) बरामद कर मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किये गये।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण में नागरिकों के गुमशुदा/खोये हुए मोबाइल फोन बरामद किये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सर्विलांस टीम द्वारा देश के विभिन्न राज्यों व विभिन्न जनपदों व जनपद के थाना क्षेत्रों से मोबाइल फोन गुमशुदगी से सम्बन्धित प्राप्त प्रार्थना पत्र जिन्हें सर्विलांस पर लगा कर बरामद करने हेतु निर्देशित किया गया था। सर्विलांस सेल द्वारा अथक परिश्रम एवं मेहनत के फलस्वरूप विभिन्न कम्पनियों के कुल 101 एंड्रॉयड मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत लगभग 22 लाख रू0) बरामद किये गये।



आज दिनांक 31.03.2026 को क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री संजय वर्मा द्वारा गुमशुदा/खोये हुए मोबाइल फोन के वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द किया गया। मोबाइल स्वामियों द्वारा सर्विलांस टीम का आभार व्यक्त किया गया तथा आम जनमानस द्वारा इस सराहनीय कार्य हेतु फतेहगढ़ पुलिस की प्रशंसा की जा रही है।

### **बरामद किये गये मोबाइल फोन का विवरण-**

1. 101 एंड्रॉयड मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत करीब 22 लाख रु0)

### **बरामद करने वाली सर्विलांस सेल टीम:-**

01. सन्तकुमार (प्रभारी सर्विलांस टीम)
02. क0ऑ0 अमित शर्मा
03. हे0का0 संदीप राव
04. हे0का0 अनुराग कुमार
05. हे0का0 सचेंद्र सिंह
06. का0 राहुल शर्मा

**मीडिया सेल फतेहगढ़।**

प्रेस नोट – थाना राजेपुर

दिनांक - 31.03.2026

**थाना राजेपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 09/26 से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को चोरी किये गये एक सोलर पम्प सेट सहित किया गया गिरफ्तार ।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना राजेपुर मु0अ0सं0 09/2026 से सम्बन्धित अभियुक्त रूस्तम पुत्र मोहल्ला मीर निवासी ग्राम भाऊपुर चौरासी थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ को चोरी किये गये माल 01 सोलर पम्प सेट सहित गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

01. रूस्तम पुत्र मो0 मीर निवासी ग्राम भाऊपुर चौरासी थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ ।

**घटना का विवरण-** दिनांक 19.11.2025 को वादी की लिखित तहरीर के आधार पर वादी के ट्यूबेल पर लगे सोलर पम्प सेट को रात्री मे चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 09/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम रूस्तम पुत्र मो0 मीर निवासी ग्राम भाऊपुर चौरासी थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ आदि 02 नफर पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त रूस्तम उपरोक्त को चोरी किये गये 01 सोलर पम्प सेट सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-** अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर अपने जुर्म की माँफी मांगते हुए अपने बयान अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया।

**बरामदगी का विवरण-**

01. 01 सोलर पम्प सेट

**अभियुक्त रूस्तम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-**

01. मु0अ0सं0 09/26 धारा 303(2) / 317(2) बीएनएस थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ ।

**गिरफ्तार करने वाली थाना राजेपुर पुलिस टीम-**

- 01.उ0नि0 श्री सत्यदेव ओझा
- 02.हे0का0 ब्रजेश
- 03.का0 राम नरेश

**मीडिया सेल फतेहगढ़।**

प्रेस नोट – थाना अमृतपुर  
दिनांक - 31.03.2026

थाना अमृतपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 देशी तमंचा व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना अमृतपुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को 01 नाजायाज देशी तमंचा व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 44/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम श्याम कुमार उर्फ हुल्ली के विरुद्ध पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. श्याम कुमार उर्फ हुल्ली पुत्र रामसरण निवासी मोहल्ला गोला कोहना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ ।

**घटना का विवरण-** थाना अमृतपुर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना अभियुक्त श्याम कुमार उर्फ हुल्ली पुत्र रामसरण निवासी मोहल्ला गोला कोहना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ । के कब्जे से अवैध 01 देशी तमंचा नाजायज व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 44/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम श्याम कुमार उपरोक्त पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-** अभियुक्त ने पूछने पर अपनी गलती की माफी मांगते हुए अपने बयान अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया ।

### **बरामदगी का विवरण-**

01. 01 तमंचा नाजायज
02. 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

### **अभियुक्त श्याम कुमार उर्फ हुल्ली उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-**

01. मु0अ0सं0 44/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़
02. मु0अ0सं0 162/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़
03. मु0अ0सं0 292/2012 धारा 401 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़
04. मु0अ0सं0 293/2012 धारा 25 आर्म्स एक्ट कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़
05. मु0अ0सं0 351/2012 धारा ¾ उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0 कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़
06. मु0अ0सं0 01/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़
07. मु0अ0सं0 17/2019 धारा 323/342/504/506 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़
08. मु0अ0सं0 270/20 धारा 380/411/457 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़
01. मु0अ0सं0 272/20 धारा ¾ , 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0 कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़
02. मु0अ0सं0 158/21 धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0 कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़

### **गिरफ्तार करने वाली थाना अमृतपुर पुलिस टीम-**

01. थानाध्यक्ष म0उ0नि0 श्रीमती रक्षा सिंह
02. उ0नि0 श्री राहुल सिंह
03. हे0का0 जयनारायण
04. का0 अंकित कुमार

**मीडिया सेल फतेहगढ़ ।**



नारी सुरक्षा  
नारी सम्मान  
नारी स्वावलम्बन

# फतेहगढ़ पुलिस



\* मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण \*

#OperationConviction

दिनांक-31.03.2026

कोतवाली फरुखाबाद

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान व “ मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण ” के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र हीरालाल निवासी मोहल्ला कछियाना लिंगीगंज थाना को0 फरुखाबाद जनपद फतेहगढ़ मु0अ0स0- 422/2017 वाद संख्या 98/2017 धारा 363,366,376 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट थाना को0 फरुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा0 न्यायालय स्पेशल जज व पॉक्सो कोर्ट द्वारा दिनांक 31.03.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 50000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री तेज सिंह



को0 मो0 म0 का0 प्राची



पैरोकार - का0 राजीव कुमार



# फतेहगढ़ पुलिस



**\* मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण \***

**#OperationConviction**

**दिनांक-31.03.2026**

**थाना जहानगंज**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनक्विशन” अभियान व “ मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण ” के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त रमले उर्फ जितेन्द्र पुत्र मुखराम निवासी चुरसाई थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ मु0अ0स0- 343/2017 वाद संख्या 123/2017 धारा 506,363,366,354ए भादवि व 8 पॉक्सो एक्ट थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा0 न्यायालय स्पेशल जज व पॉक्सो कोर्ट द्वारा दिनांक 31.03.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 3 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 12000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



**एडीजीसी - श्री तेज सिंह**



**को0 मो0 मा0 का0 प्राची**



**पैरोकार - का0 मोहित कुमार**

**Meticulous Investigation & Prosecution**

**#OperationConviction**

**थाना नवाबगंज**

**दिनांक-31.03.2026**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त मूलचन्द लोधी पुत्र सोनेलाल निवासी नगला हीरा सिंह थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ मु०अ०स०- 347/2015 वाद संख्या 29/2016 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय एडीजे-2 कोर्ट द्वारा दिनांक 31.03.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 03 वर्ष का कारावास की सजा व 25000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी -श्री कृष्ण कुमार पाण्डे



एडीजीसी -श्री अनुज कटियार



को० मो० का० बन्टी कुमार



पैरोकार का० कृष्णवीर

**Meticulous Investigation & Prosecution**

**#OperationConviction**

**थाना नवाबगंज**

**दिनांक-31.03.2026**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त जबरसिंह पुत्र स्व० मेवाराम निवासी घुमड़या रसूलपुर थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ मु०अ०स०- 376/2015 वाद संख्या 30/2016 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय एडीजे-2 कोर्ट द्वारा दिनांक 31.03.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 03 वर्ष का कारावास की सजा व 25000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी -श्री कृष्ण कुमार पाण्डे



एडीजीसी -श्री अनुज कटियार



को० मो० का० बन्टी कुमार



पैरोकार का० कृष्णवीर

**Meticulous Investigation & Prosecution**

**#OperationConviction**

**थाना नवाबगंज**

**दिनांक-31.03.2026**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त महावीर पुत्र स्व० मेवाराम निवासी घुमइया रसूलपुर थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ मु०अ०स०- 377/2015 वाद संख्या 31/2016 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय एडीजे-2 कोर्ट द्वारा दिनांक 31.03.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 03 वर्ष का कारावास की सजा व 25000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी -श्री कृष्ण कुमार पाण्डे



एडीजीसी -श्री अनुज कटियार



को० मो० का० बन्टी कुमार



पैरोकार का० कृष्णवीर





# फतेहगढ़ पुलिस



दैनिक आयोध्या टाइम्स

## फर्रुखाबाद पुलिस का मिशन शक्ति अभियान तेज, जनपद के सभी थानों में महिला सुरक्षा को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान

ब्यूरो चीफ विपिन सिंह चौहान फर्रुखाबाद। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर चलाए जा रहे 'मिशन शक्ति' अभियान के तहत जनपद फर्रुखाबाद पुलिस लगातार सक्रिय नजर आ रही है। इसी क्रम में जनपद के विभिन्न थानों/कूथाना कादरीगैट, कोतवाली कायमगंज, कोतवाली फतेहगढ़, कोतवाली फर्रुखाबाद, थाना मऊदरवाजा, महिला थाना तथा थाना राजेपुरकूम में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस टीमों ने अपने-अपने थाना

क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया इस दौरान हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया।

अभियान के तहत स्कूल-कॉलेजों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर जाकर महिलाओं को सुरक्षा संबंधी



महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए।

साथ ही उन्हें आत्मरक्षा के प्रति भी जागरूक किया गया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 'मिशन शक्ति' अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित याताचरण प्रदान करना और उन्हें

आत्मनिर्भर बनाना है। जनपद पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

मीडिया सेल फतेहगढ़



@fatehgarhpolice



@fatehgarhpolice

Contact no- 7839856742